न्यायालय– जनपद न्यायाधीश, संत कबीर नगर।

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–22/2025

सोठई मृतक आदि –– बनाम –– श्रीमती अवतारी मृतका आदि

12.08.2026–

पुकारा गया। प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है एवं विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी को जारी नोटिस का तामिला पर्याप्त माना जा चुका है।

प्रार्थीगण मतलबी आदि द्वारा विलम्ब के कारण को स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र 7ग मय शपथ पत्र 8ग में यह वर्णित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील दिनांक 12.12.2024 को एकपक्षीय रूप से निरस्त कर दी गयी। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 10.06.2025 को पूर्व अधिवक्ता से हुई, जिन्होंने जून माह में न्यायालय बंद होने का हवाला देते हुए बाद में कार्यवाही करने को कहा। पूर्व अधिवक्ता द्वारा समुचित जानकारी न देने के कारण प्रार्थीगण ने दिनांक 01.07.2025 को नया अधिवक्ता नियुक्त किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक 12.12.2024 को एकपक्षीय आदेश की जानकारी हुई। उक्त आदेश से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः मूलवाद की नकल प्राप्त कर तत्काल कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विलंब होने की स्थिति में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए विलम्ब को क्षमा कर कायमी प्रार्थना पत्र को मियाद के भीतर मानकर गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा विलम्ब का कारण एकपक्षीय आदेश की जानकारी समय पर न होने एवं माह जून में दिवानी न्यायालय बन्द होने के कारण लगा समय बताया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 7ग2 अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम **स्वीकार** किया जाता है। प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद संस्थित करने में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.08.2026 को प्रस्तुत हो।

(रणधीर सिंह)
[J.O. Code–UP05761]
जनपद न्यायाधीश
संत कबीर नगर।

Digitally signed by RANDHEER SINGH
Date: 2026.08.12 17:04:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court